




प्रेषक

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate of Elementary Education

E-mail: eduprimaryhry@gmail.com - site: www.harprathamik.gov.in



निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकुला।

सेवा में

राज्य के सभी

1. जिला शिक्षा अधिकारी।
2. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
3. जिला परियोजना समन्वयक।
4. खण्ड शिक्षा अधिकारी।
5. खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी।
6. राज्य के सभी प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मुखिया/प्रभारी।

यादि क्रमांक KW10/29-2010-RTE(1)

दिनांक 6 मार्च 2019

विषय:- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का पुर्नगठन एवं Social Audit 2019-20.

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में उल्लेख किया जाता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन तथा प्रत्येक दो वर्ष बाद पुर्नगठन किया जाता है। हरियाणा राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में 22 मार्च, 2011 को विद्यालय प्रबंधन समितियों का गठन किया गया था। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में 24 मार्च, 2013 को विद्यालय प्रबंधन समितियों का पुर्नगठन किया गया। हर दो वर्ष बाद 2015 तथा 2017 में यह पुर्नगठन किया गया है। इन समितियों को तदनुसार प्रशिक्षित भी किया गया तथा वर्तमान में यह सभी समितियां सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं। इन सभी समितियों माध्यम से ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम की सभी गतिविधियों का विद्यालय स्तरीय आयोजन किया जा रहा है। 2017 में पुर्नगठन समितियों का दो वर्ष का कार्यकाल अब समाप्त हो गया है। अतः 2019 में मार्च को इन समितियों के पुर्नसंरचना का प्रस्ताव है। इन समितियों का गठन भी पुर्व में गठित समितियों की भांति ही होगा। राजकीय उच्च विद्यालयों तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में यह पुर्नगठन नहीं होगा क्योंकि समग्र के अन्तर्गत गत वर्ष यह कार्यवाही सम्पन्न करवाई गई है जिसमें SMC तथा SMDC का विलय कर दिया गया है अब यह कार्यक्रम प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में होगा।

विद्यालय प्रबंधन समिति में सदस्य संयोजक को छोड़कर निम्न सदस्य होंगे :-

- (i) विद्यार्थियों की संख्या 001-300 तक वाले विद्यालयों में - 12 सदस्य;
- (ii) विद्यार्थियों की संख्या 301-500 तक वाले विद्यालयों में - 16 सदस्य;
- (iii) विद्यार्थियों की संख्या 501 या अधिक वाले विद्यालयों में - 20 सदस्य;

'विद्यालय प्रबंधन समिति' की सदस्य संख्या का पचहत्तर प्रतिशत बालकों के माता-पिताओं या संरक्षकों में से होगा। विद्यालय में पढ़ रहे बालकों के माता-पिता तथा अभिभावकों की एक सभा का आयोजन समिति के गठन के लिए विद्यालय के मुख्य शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक द्वारा विद्यालय परिसर/प्रांगण में किया जाएगा। माता पिता तथा अभिभावक संघ 'विद्यालय प्रबंधन समिति' के लिए यथाअपेक्षित सदस्यों का मनोनयन सर्वसम्मति से करेगा। किसी मामले में विवाद की दशा में मुख्य शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी/खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को मामले के समाधान के लिए सूचित किया जाएगा





‘विद्यालय प्रबंधन समिति’ की सदस्य संख्या का शेष पच्चीस प्रतिशत निम्नलिखित व्यक्तियों में से होगा,

अर्थात्:-

- (क) नगरपालिका या ग्राम पंचायत, जैसी भी स्थिति हो के निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य;
- (ख) विद्यालय के अध्यापकों में से एक सदस्य, जिसका विनिश्चय विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जाएगा जिन विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ऐसे विद्यालयों में विशेष अध्यापक अर्थात् Special Teacher को सदस्य बनाया जाए
- (ग) स्थानीय शिक्षाविदों या विद्यालय के लिए काम कर रही NGO आदि के बालकों में से कम से कम एक व अधिकतम तीन सदस्य, जिनके मनोनयन का विनिश्चय माता-पिता/संरक्षकों द्वारा किया जाएगा।

यह ध्यान रखा जाए कि समिति के कुल सदस्यों का पचास प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी; और ‘विद्यालय प्रबंधन समिति’ के कुल सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति तथा एक सदस्य पिछड़े वर्ग से संबंधित होगा तथा जिन विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन विद्यालयों की प्रबंधन समितियों में ऐसे बच्चों के माता-पिता में से किसी एक को आवश्यक रूप से सदस्य बनाया जाए। माता-पिता को ही एस0एम0सी0 सदस्य बनाया जाए अभिभावक या अन्य रिश्तेदार उसी स्थिति में एस0एम0सी0 सदस्य बन सकते हैं यदि बालक के माता-पिता जीवित नहीं हैं अथवा बालक रिश्तेदार के पास रह कर शिक्षा ग्रहण कर रहा है।

‘विद्यालय प्रबंधन समिति’ माता-पिता/संरक्षक सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित करेगी। विद्यालय का अध्यापक या मुख्य शिक्षक जहां विद्यालय में मुख्य अध्यापक नहीं है वहां विद्यालय का वरिष्ठतम अध्यापक, विद्यालय प्रबंधन समिति का पदेन सदस्य संयोजक होगा।

‘विद्यालय प्रबंधन समिति’ मास में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी और सदस्य संयोजक द्वारा बैठकों के कार्यवृत्त तथा विनिश्चय समुचित रूप से अभिलिखित किए जाएंगे और जनता के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। इस हेतु सदस्य संयोजक एक नई ‘कार्यवाही पुस्तिका’ लिखना आरंभ करेंगे व आगामी बैठकों की कार्यवाहियाँ भी इसी में लिखेंगे।

‘विद्यालय प्रबंधन समिति’, धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों जिसके लिए यह इसके सदस्यों में से लघु कार्यसमूह से गठित हो सकती है, का पालन करेगी, अर्थात्:-

- (क) अधिनियम में यथा प्रतिपादित बालक के अधिकारों के साथ ही राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय, माता-पिता और संरक्षक के कर्तव्यों को भी विद्यालय के आस-पड़ोस की जनसाधारण को सरल और सृजनात्मक रूप में सूचित करना;
- (ख) धारा 24 के (क) और (ड) तथा धारा 28 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;
- (ग) इस बात की निगरानी करना कि अध्यापकों पर धारा 27 में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों से भिन्न गैर-शैक्षिक कर्तव्यों का भार न डाला जाए;
- (घ) विद्यालय में आस-पड़ोस के सभी बालकों का नामांकन और निरंतर उपस्थिति को सुनिश्चित करना;
- (ङ) अनुसूची में विहित सन्नियमों और मानकों को बनाए रखने की निगरानी करना।
- (च) बालक के अधिकारों से किसी विचलन को, विशेष रूप से बालकों के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, प्रवेश से इंकार किए जाने और धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसार निःशुल्क हकदारियों के समयबद्ध उपबंध को स्थानीय प्राधिकारी की जानकारी में लाना;

- 2 -





- (छ) आवश्यकताओं का पता लगाना, योजना तैयार करना और धारा 4 के उपबंधों के कार्यान्वयन की निगरानी करना;
- (ज) निःशक्तताग्रस्त बालकों की पहचान और नामांकन तथा उनकी शिक्षा की सुविधाओं की निगरानी करना और प्राथमिक शिक्षा में उनके भाग लेने और उसे पूरा करने को सुनिश्चित करना;
- (झ) विद्यालयों में दोपहर के भोजन के कार्यान्वयन की निगरानी करना;
- (ञ) विद्यालय की प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करना;
- (ट) सरकार द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कार्य।

इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए 'विद्यालय प्रबंधन समिति' द्वारा प्राप्त किसी धनराशि को बैंक खाते में रखा जाएगा, जिसकी प्रत्येक वर्ष संपरीक्षा की जाएगी। इन समितियों की आम सभा की बैठक सभी विद्यालयों में 25 मार्च 2019 को आयोजित की जानी है। आम सभा की इस बैठक में विद्यालय में पढ़ रहे सभी छात्रों के अभिभावक/संरक्षण इन विद्यालयों में कार्यरत सभी अध्यापक शामिल होंगे। संबंधित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/नगर निगम/नगर परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधि आम सभा के पदेन सदस्य होंगे। इसके इलावा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, शिक्षा शास्त्री, दान दाता गैर सरकारी संस्थाओं के सदस्य स्वयं सहायता समुह के सदस्य तथा साक्षर महिला समुह के सदस्यों को भी इन बैठकों में आमंत्रित किया जाए। इस बैठक में 'विद्यालय प्रबंधन समिति' के निर्धारित सदस्यों का जहां तक सम्भव हो सर्वसम्मति से चयन व नामांकन बैठक में भाग ले रहे 'माता-पिता व अभिभावकों' के द्वारा किया जावे।

नोट:- 15 अगस्त को ध्वजारोहण करने वाली सबसे पढ़ी लिखी बेटी को मनोनित सदस्या के रूप में आमंत्रित किया जाए।

प्रत्येक विद्यालय में कार्यवाही पुस्तिका जिसमें हर कार्यवाही को विस्तृत रूप से लिखा जाए। इस पुस्तिका को 'विद्यालय प्रबंधन समिति' के सदस्य संयोजक द्वारा निरीक्षण व अवलोकन हेतु संभालकर विद्यालय में रखा जाए। कार्यवाही पुस्तिका पर सभी उपस्थित सदस्यों की हाजरी संलग्न कार्यवाही प्रारूप -- 'एक' व 'दो' में ली व लिख ली जाए। नव गठित समिति के सदस्यों का ब्यौरा संलग्न कार्यवाही प्रारूप -- 'एक' व 'दो' के अनुसार बना कर कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज किया जाए।

क्र०	गतिविधि	दायित्व	समय सीमा
1	वर्ष 2018-19 के सभी स्रोत से प्राप्त आय एवं व्यय का ब्यौरा तैयार करना।	स्कूल मुखिया तथा SMC प्रधान	16.03.19 से 17.03.19
2	स्कूल की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना। विशेष उपलब्धियां आयोजन, परीक्षा परीणाम आदि।	स्कूल मुखिया तथा अन्य अध्यापक एवं कर्मचारी।	16.03.19 से 17.03.19
3	आम सभा के संबंध में प्रचार मुनादी, गुरुद्वारा मन्दिर मस्जिद के माध्यम से प्रचार तथा बच्चों के माध्यम से लिखित निमंत्रण।	स्कूल मुखिया तथा कक्षा प्रभारी।	16.03.19 से 23.03.19
4	क्षेत्र के गणमान्य सदस्यों, शिक्षा शास्त्रीयों दान-दाताओं, गैर सरकारी संस्थाओं NGO, SMC, SHG को व्यक्तिगत संपर्क करना, ग्राम पंचायत को विधिवत निमंत्रण देना। ध्वजारोहण करने वाली सबसे पढ़ी लिखी बेटी (मनोनित सदस्य SMC) को निमंत्रण	स्कूल मुखिया एवं SMC प्रधान	16.03.19 से 22.03.19
5	बैठक के आयोजन हेतु अन्य आवश्यक प्रबन्ध करना।	स्कूल मुखिया एवं समस्त स्टाफ	22.03.19 से 25.03.19
6	आयोजन एवं पुर्नगठन तथा Social Audit की कार्यवाही बैठक का आयोजन	—do—	25.03.19

- 3 -



इस आयोजन हेतु निम्नानुसार कार्य किए जाने हैं :-

क्रमांक	प्राप्त राशि	राशि किस कार्य के लिए प्राप्त हुई	प्राप्ति की तिथि	भेजने वाला विभाग	राशि के खर्च की स्थिति	यदि बकाया है तो कारण

Social Audit के लिए प्रारूप

इस आम सभा वार्षिक बैठक/स्थापना दिवस/Social Audit में निम्नानुसार एजेण्डा प्रस्तावित है:-

1. सोशल आडिट मध्यह्न भोजन योजना तथा शिक्षा का अधिकार
2. खर्च का ब्यौरा दस्तावेज सहित तथा जन अवलोकनार्थ
3. नये सदस्यों को शपथ
4. नये शैक्षणिक वर्ष के लिए योजना (विद्यालय उत्थन योजना) School Development Plan
5. वार्षिक योजना पर आम सभा की सहमति
6. स्कूल से बाहर रह रहे बालकों/100 प्रतिशत नामांकन के लिए योजना
7. CWSN बच्चों की व्यवस्था
8. दोपहर भोजन तथा SHG के कार्य पर चर्चा
9. विद्यालय सौन्दर्यकरण कार्यक्रम

व्यक्तियों/स्वयं सेवी संस्थाओं को 25 मार्च, 2019 को विद्यालय परिसर में आकर विद्यालय प्रबन्धन समितियों के पुर्नगठन कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाए।

पर्यवेक्षण :- इस कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी पर्यवेक्षण हेतु टीम का गठन करके पर्यवेक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जिले के सभी खण्डों को दो भागों में बांट कर पर्यवेक्षण करेंगे। इसी प्रकार खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी भी अपने खण्ड के कलस्टर को दो भागों में बांट कर पर्यवेक्षण करेंगे। सभी ए0बी0आर0सी0, BRP अपने अपने क्षेत्राधिकार में पर्यवेक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे।

अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन
कृते: निदेशक मौलिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन सम:

दिनांक पंचकुला
6 मार्च 2019

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. निजी सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. निजी सहायक/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला।
3. मण्डायुक्त गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, अम्बाला, हिसार तथा रोहतक।
4. निजी सहायक/निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला।
5. राज्य परियोजना निदेशक, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् पंचकुला।
6. राज्य के सभी उपायुक्त एवं अतिरिक्त उपायुक्त।
7. निदेशक, राज्य अनुसंधान एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, गुड़गांव।

अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन
कृते: निदेशक मौलिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

